राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकल पीठ सिविल विविध अपील सं. 953/2005

1. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री हीराराम@हीरा सिंह, आयु 37 वर्ष,

2. भेरू सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हीरा राम @हीरा सिंह, आयु 21 वर्ष,

3. किशन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हीरा राम @हीरा सिंह, आयु 19 वर्ष,

4. सुश्री मंजू पुत्री स्वर्गीय श्री हीरा राम @हीरा सिंह, आयु 14 वर्ष,

5. सुश्री चिनू पुत्री स्वर्गीय श्री हीरा राम @हीरा सिंह, उम्र 7 साल,

6. प्रेम लता पुत्री स्वर्गीय श्री हीरा राम @हीरा सिंह, आयु 25 वर्ष,

(अपीलार्थी/आवेदक संख्या 4 और 5 नाबालिग हैं, स्वाभाविक संरक्षक माँ श्रीमती प्रेम कंवर अपीलार्थी/आवेदक संख्या.1)

सभी की जाति रावणा राजपूत, निवासी बसनी कवियन, तहसील जैतारण, जिला पाली।

----- अपीलार्थी

बनाम

1. बुधापुरी पुत्र श्री शंकरपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी अगेवा तहसील जैतारण, जिला पाली (टेम्पो का चालक और मालिक (टेम्पो नंबर - आर.जे.22-पी-1176)

2. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डिवीजनल मैनेजर, एल. आई. सी. बिल्डिंग मंडिया रोड, पाली (बीमाकर्ता, टेम्पो नंबर - आर.जे.22-पी-1176)

3. पन्नालाल पुत्र अंदा राम, जाति सिरवी, निवासी ठाकरवास तहसील जैतारण, जिला पाली चालक और मोटर साइकिल हीरो होंडा के मालिक (हीरो होंडा नंबर आर.जे-19-12-एम-1012)

----प्रतिवादी

अपीलार्थी (गण) के लिए	:	श्री अरविंद समदरिया
उत्तरदाता(गण) के लिए	:	श्री संजीव जौहरी, वरिष्ठ अधिवक्ता ललित परिहार और श्री शुभंकर जौहरी (सहयोगी) श्री राकेश अरोड़ा के लिए श्री मनीष राजपुरोहित श्री प्रदीप चौधरी

न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग

<u>आदेश</u>

19/12/2022

<u>रिपोर्टेबल</u>

त्वरित विविध अपील अपीलार्थियों-दावेदारों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सोजत कैंप जैतारण, जिला पाली के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार दिनांक 21.12.2004 के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों-दावेदारों के पक्ष में Rs.3,96,768/- का दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्रति वर्ष 6% की दर से ब्याज के साथ मुआवजा दिया है।

वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक की मासिक आय को Rs.7, 641/- प्रति माह मानने में गलती की है।वकील का कहना है कि मृतक की उम्र यानी 48 वर्ष को ध्यान में रखते हुए विद्वान न्यायाधिकरण को 6 के बजाय 13 का गुणक लागू करना चाहिए था। विद्वान न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं और संघ को पुरस्कार न देकर और भी त्रुटि की है। यह स्थापित नियम है कि जीवन और

करियर में उन्नति की भविष्य की संभावनाओं को गुणनफल बढ़ाने के लिए धन के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। यह प्रार्थना की जाती है कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थियों की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हुए कहा है कि न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि उचित और न्यायसंगत है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और पुरस्कार में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के साथ-साथ उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को सुना और आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

मृतक की आय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने मृतक की मासिक आय का सही आकलन Rs.7,641/- के रूप में किया है। तथापि, मृतक की आयु 48 वर्ष मानते हुए, इस न्यायालय की राय है कि मुआवजे की राशि की गणना करते समय, 6 के बजाय 13 का गुणक विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा लागू किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने केवल अंतिम संस्कार के खर्च, प्रेम और स्नेह और संपत्ति के नुकसान के शीर्ष के तहत Rs.30, 000/- का आदेश दिया है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय

सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680] के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर वर्तमान मामले में मुआवजे की राशि की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं को भी जोड़ना आवश्यक है।

तदनुसार, पुरस्कार की पुनः संगणना निम्नानुसार होगीः-

आमदनी	: रूपये 7,641/-(प्रति माह)
आयु	: 48 वर्ष
गुणक	: 13
कटौती	: 1/3
भविष्य की संभावनाएँ	: 30%
गणना : 7,641*12*13*1/2*30%	: रुपये 10,33,064/-

अंत्येष्टि खर्च, प्रेम और स्नेह और संपत्ति की हानि : रुपये 70,000/-

मुआवजे की कुल राशि : रुपये 11,03,064/-

न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त राशि : रुपये 3,96,768/-

बढ़ी हुई राशिः 11,03,064-3,96,768 = Rs.7, 06,296/- ब्याज सहित @ 6% प्रति वर्ष पुरस्कार पारित होने की तारीख से।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 7,06,296/- रुपये बढ़ाया गया है पुरस्कार पारित होने की तारीख से।

तदनुसार, सिविल विविध अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। बीमा कंपनी द्वारा अपीलकर्ताओं-दावेदारों को रु. 7,06,296/- (केवल सात लाख छह हजार दो सौ छियानवे) की राशि का भुगतान किया जाएगा, जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांकित 21.12.2004, आदेश के तहत पहले ही दी गई राशि के अतिरिक्त है, आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर। यदि निर्धारित अवधि के भीतर बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो दावेदार-अपीलकर्ता उक्त राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे। बीमा कंपनी द्वारा इस प्रकार जमा की गई राशि दावेदारों के बचत खाते में जमा की जाएगी, जिसका विवरण दावेदारों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(मनोज कुमार गर्ग), न्यायाधीश

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।